



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2015/माघ 29, 1936

No. 55]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2015/MAGHA 29, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

फा. सं. 1-83 एल/एस सी आई-पी ए एन- अधि./एफ एस एस ए आई-2012.-खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) (संशोधन) विनियम, 2013 का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. 1-83/एस सी आई-पी ए एन- अधि./एफ एस एस ए आई-2012, तारीख 16 मई, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किये गये थे जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 22 अगस्त, 2013 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनता है, अर्थात्:-

विनियम

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) (संशोधन) विनियम, 2015 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2011 के, विनियम 2.4.5 में,-
(क) उपविनियम (43) में, 'डबल रोटी और ककें' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा-

“योगहर्ट, मौजे, स्प्रेडस, डेयरी आधारित पेय (मिल्कशेक, योगहर्ट पेय) चीज, पुडिंग, क्रीम और आईस-क्रीम; शीतित डेजर्ट जैसे गैर डेयरी आईस, सोरबट और फल आईस, शीतित योगहर्ट, फ्लेक्स और खाने के लिए तैयार सूखे अनाज का नाश्ता, चॉकलेटो और मिठाइयों; और कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां जैसे हलवा, मैसूर पाक, बूंदी लड्डू, जलेबी, खोया

बर्फी, पेड़ा गुलाब जामुन, रसगुल्ला और इसी प्रकार किसी भी नाम से बेची जाने वाली दुग्ध आधारित मिठाईयों, पका हुए सोसेजीस, हाम और मांसीय स्प्रेडस” ;

(ख) उपविनियम (47) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“48. पौध स्टेनोल एस्टेट को अंतर्विष्ट करने वाले वसा स्प्रेड, दुग्ध उत्पाद, दुग्ध आधारित फलों को पेय, क्रीम वित्त दुग्ध उत्पाद, सोया और राइस पेय (मांड), चीज उत्पादों, योगहर्ट उत्पादों, स्पाईस सोसेज, सलाद ड्रेसिंग, रस और नेक्टर के प्रत्येक पैकेज में निम्नलिखित घोषणाएं रहेंगी, अर्थात्-

- पौध स्टेनोल एस्टेट में अंतर्विष्ट (पौध स्टेनोल के रूप में)-ग्राम/100 ग्राम या 100 मि.ली.।
- कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा का सेवन करने वाले रोगीओं को, केवल चिकित्सीय पर्यवेक्षण के अधीन उत्पादों का उपयोग करना चाहिए।
- गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली स्त्रियां और पांच वर्ष से कम आयु के बालकों के लिये पौष्टिक रूप से समुचित नहीं है।
- प्रतिदिन 3 ग्राम से अधिक, कुल स्टेरोल, स्टेनोल या उसके मिश्रण से बचना चाहिए

(49). बिस्कियो, डबलरोटी, केकों, नाश्ते के अनाजो, कार्बनीकृत जल, तापीय प्रसंस्कृत फलों, फलों के रस, फलों के नेक्टर, फलों के पेयों, फलों के स्क्वाश, जैम, जैली, फलों के चीज, मारमलेड, डेयरी आधारित पेयों, दुग्ध पाउडर कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाईयों जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, खोया बर्फी, मैक्रोनी उत्पादों, नूडल्स, पास्ता, मिठाईयों और कन्फेक्शनरी, कैण्डीज़ और आईसींग के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् :—

ट्रीहलोज अंतर्विष्ट”.

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/ असा./187-ओ/14]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक 2-15015/30/2010, 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 4/15 015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013 द्वारा अंतिम संशोधन उन का किया गया ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2015

F. No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) (Amendment) Regulations, 2013, were published as required under sub-section (1) of Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. 1-83/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 16th May, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 22nd August, 2013;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) (Amendment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, in regulation 2.4.5,—

(A) i) In sub-regulation 43, after the words “bread and cakes”, the following shall be inserted, namely:-

“yoghurt, mousse, spreads, dairy based drinks (milk shakes, yoghurt drink), cheese, pudding, cream and ice-Cream, frozen dessert like non dairy ice, sorbet and fruit ice, frozen yoghurt, flakes and ready-to-eat dry breakfast cereals, chocolates and sweets and carbohydrate based and milk product based sweets like halwa, mysore pak, boondi laddu, jalebi, khoya burfi, peda, gulab jamun, rasogolla and similar milk product based sweets sold by any name, cooked sausages, ham and meat spreads”;

(B) after sub-regulation (47), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(48) Every package of fat spread, milk products, milk based fruit drink, fermented milk products, soy and rice drink, cheese products, yoghurt products, spice sauces, salad dressings, juices and nectars containing plant stanol esters shall bear the following declarations, namely:—

- Contains Plant Stanol Esters (as Plant Stanols)---gm/100 gm or 100ml.
- Patients on cholesterol lowering medication should use the product under medical supervision.
- May not be nutritionally appropriate for pregnant and lactating women and children under the age of five years.
- CONSUMPTION OF MORE THAN 3g. PER DAY, TOTAL OF STEROL, STANOLS OR COMBINATION THEREFOF SHALL BE AVOIDED.

(49) Every package of biscuits, bread, cakes, breakfast cereals, carbonated water, thermally processed fruits, fruit juices, fruit nectars, fruit beverages, fruit squashes, jam, jelly, fruit cheese, marmalade, dairy based drinks, milk powder, carbohydrate- based and milk product based sweets like gulabjamun, rosogolla, peda, khoyaburfi, macroni products, noodles, pasta, sweets and confectionery, candies and icings, savories and snacks wherever the trehalose is added shall bear the following label, namely:—

Contains Trehalose”.

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./187-O/14]

Foot note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 notification No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and last amended vide notification No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

फा. सं. 1-83 एफ/एससीआई-पीएएन-अधि./एफ एस एस ए आई-2012.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2013 के प्रारूप विनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. 1-83/एस सी आई. पी ए एन-अधि./एफ एस एस ए आई-2012, तारीख 16 मई, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 14 जुलाई, 2013 को उपलब्ध करवा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धरा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 जिन्हे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है में,—

(अ) विनियम 2.1 के अधीन “डेयरी उत्पाद और समानांतर तत्व” से संबंधित विनियम 2.1.9 में—

(i) “शिशु पोषण के लिए आहार” शीर्षक के पश्चात्, “शिशु के लिए दुग्ध प्रति स्थापक” दुग्ध उपशीर्षक को अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) शिशु फार्मूला से संबंधित उपविनियम 2 में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी शिशु दुग्ध प्रतिस्थापन दुग्ध प्रोटीन और दुग्ध वसा की अपेक्षाओं के सिवाय, लेक्टोज युक्त या लेक्टोज और सुक्रोज युक्त या सुक्रोज की निम्नलिखित अपेक्षाओं को निम्नलिखित रूप से अनुपालन करेंगे, अर्थात् :—

(क) भार के अनुसार, कुल प्रोटीन 10.0 प्रतिशत से अन्यून और 16 प्रतिशत से अनधिक होगा

(ख) भार के अनुसार, कुल वसा 18.0 से अन्यून होगी ; और

(ग) लेक्टोज युक्त दावे वाले उत्पाद में लेक्टोज 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा”

(iii) खंड 3 में दुग्ध-अनाज आधारित प्रतिपूरक खाद्य शब्दों से पूर्व उप शीर्षक “शिशु खाद्य” को अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iv) प्रसंस्कृत अनाज आधारित प्रतिपूरक खाद्य से संबंधित उपविनियम 4 में, अंत में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“परंतु विनिर्दिष्ट शर्तों में उपयोग के लिए प्रसंस्कृत अनाज आधारित प्रतिपूरक खाद्य, जहां प्रोटीन को निर्बंधित किया जाने आवश्यकता होगी और जहां अन्य अनाजों जैसे, गेहूं, सोया, फली और दुग्ध का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार के अनाज आधारित प्रति पूरक खाद्य को एकल अनाज जैसे चावल या रागी से बनाया जाएगा, जिसमें कम से कम 6-9 प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा होगी । इस प्रकार के उत्पादों के लेवल पर “केवल चिकित्सीय मार्गदर्शन के अधीन विनिर्दिष्ट दशाओं में उपयोग के लिए प्रसंस्कृत एकल अनाज आधारित पूरक खाद्य” सहजदृश्यात्मक रूप में होगा ।”;

ख विनियम 2.4.1 में, प्रवर्तित आटा से संबंधित उपविनियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. प्रवर्तित आटा से आटे में निम्नलिखित पोषकों में से एक या अधिक पोषक तत्व मिलाकर प्राप्त किया उत्पाद अभिप्रेत है, अर्थात् :—

क्र.सं.	पोषक तत्व	प्रति कि.ग्रा. आटे के पुष्टीकरण का स्तर (निम्नलिखित से अधिक नहीं)
(1)	(2)	(3)
1	कैल्शियम- कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सीट्रेट, कैल्शियम फोस्फेट एकल क्षारीय, कैल्शियम फोस्फेट द्विक्षारीय, कैल्शियम फोस्फेट त्रिक्षारीय	1500 मि.ग्रा.

2	लोहा- (क) फेरस साइट्रेट, फेरस लैक्टेट, फेरस सल्फेट, फैरिक पायरोफास्फेट इलैक्ट्रोलेटिक आयरन, फेरस फ्यूमरेट (ख) सोडियम लौह (III), इथाइलीन डाईमीन टेट्रा एसिटेट, ट्राईहाइड्रेट (सोडियम फेरेडेटेट- Na Fe, ईडीटीए)	60 मि.ग्रा. 25 मि.ग्रा.
3	जस्ता – जिंक सल्फेट	30 मि.ग्रा.
4	विटामिन ए- रेटीनाइल एसिटेट, रेटीनाइल पल्मीटेट रेटीनाइल प्रोपियोनेट	1500 µg RE
5	एस्कोर्बिक अम्ल (विटामिन सी)- (एस्कोर्बिक अम्ल, सोडियम एस्कोर्बेट, कैल्शियम एस्कोर्बेट एस्कोर्बिल-6-पल्मीटेट	100 मि.ग्रा.
6	थियामीन (विटामिन बी-1)- थियामीन, हाइड्रोक्लोराइड थियामीन मोनो नाइट्रेट	3.5 मि.ग्रा.
7.	राइबोफ्लेविन (विटामिन-बी-2) राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन-5- फास्फेट सोडियम	4.0 मि.ग्रा.
8	नियासिन-निकोटीनामाइड, निकोटिनिक अम्ल	45 मि.ग्रा.
9	पायरिडाक्सीन (विटामिन बी-6) पायरिडाक्सीन हाइड्रोक्लोराइड	5.0 मि.ग्रा.
10	फोलिक अम्ल-फोलिक अम्ल	250 µg
11	विटामिन-बी12-सायनोकोबालमीन, हाइड्रोक्सीकोबालमीन	2.5 µg
12	विटामिन डी – कोलकैल्सीफेरॉल, एर्गोकैल्सीफेरॉल	1000 आई.यू

वह कृतंक तंतु, बाल और उत्सर्ग सहित किसी भी बाहरी पदार्थ से मुक्त होगा ।”;

ग. विनियम 2.4.2 में प्रबलित मैदा से संबंधित के उपविनियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा किया जाएगा, अर्थात् :-

2. प्रबलित मैदा में निम्नलिखित एक या अधिक पोषक तत्वों को मिलाकर प्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है, अर्थात् :-

क्र. सं.	पोषक तत्व	मैदा के प्रति 1 किलो में प्रबलता का स्तर (से कम नहीं)
1	कैल्शियम- कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सीट्रेट, कैल्शियम फोस्फेट एकल क्षारीय, कैल्शियम फास्फेट द्विक्षारीय, कैल्शियम फास्फेट त्रिक्षारीय	1500 मि.ग्रा.
2	लोह तत्व (क) फेरस साइट्रेट, फेरस लेक्टेट, फेरस सल्फेट, फैरिक पाइरोफास्फेट इलैक्ट्रोलेटिक आयरन, फेरस फ्यूमरेट ; (ख) सोडियम आयरन (III), इथाइलीन डायामीन, टेट्रा एसिटेट, ट्राइ हाइड्रेट (सोडियम फेरेडेटेट- Na Fe EDTA)	60 मि.ग्रा. 25 मि.ग्रा.
3	जस्ता – जिंक सल्फेट	30 मि.ग्रा.
4	विटामिन ए- रेटिनिल एसिटेट, रेटिनिल पालमिटेट रेटिनिल प्रोपायोनेट	1500 µg RE
5	एस्कोर्बिक अम्ल (विटामिन-सी)- एस्कोर्बिक अम्ल, सोडियम एस्कोर्बेट, कैल्शियम एस्कोर्बेट, एस्कोर्बिल-6-पल्मिटेट	100 मि.ग्रा.

6	थियामिन (विटामिन बी-1)- थियामिन हाइड्रोक्लोराइड, थियामिन मोनो-नाइट्रेट	3.5 मि.ग्रा.
7	राइबोफ्लेविन (विटामिन बी-2)- राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लोविन-5, फास्फेट सोडियम	4.0 मि.ग्रा.
8	नियासिन-निकोटिनामाइड, निकोटिनिक अम्ल	45 मि.ग्रा.
9	पायरिडॉक्सीन (विटामिन बी 6)-पायरिडॉक्सीन हाइड्रोक्लोराइड	5.0 मि.ग्रा.
10	फोलिक अम्ल-फोलिक अम्ल	250 µg
11	विटामिन-बी12- सायनोकोबालामीन हायड्रॉक्सीकोबालामीन	2.5 µg
12	विटामिन डी – कोलकैल्सीफेरॉल, एर्गोकैल्सीफेरॉल	1000 आई.यू.

टिप्पण : वह कृतंक तंतु, बाल और उत्सर्ग सहित किसी भी बाहरी पदार्थ से मुक्त होगा।”;

घ. विनियम 3.1.17 में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“विभिन्न खाद्यों में खाद्य अवयवों का उपयोग”

निम्नलिखित खाद्य उत्पादों में इन विनियमों के अधीन जो अनुज्ञा प्राप्त खाद्य अवयवों के अतिरिक्त नीचे यथाविनिर्दिष्ट खाद्य अवयव अंतर्विष्ट किए जा सकेंगे।

- (i) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) अधिनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 के उपविनियम 43 के अधीन लेवल की घोषणा के अधीन रहते हुए निम्नलिखित उत्पादों में, उत्पादों के दुग्ध दस प्रतिशत से अनाधिक ओलिगोफ्रक्टोस मिलाया जा सकेगा।

डेयरी उत्पाद जैसे : योगहर्ट, मूसे, स्प्रेड, डेयरी आधारित पेय (मिल्कशेक, योगहर्ट पेय) चीज, पुडिंग, क्रीम और आइस-क्रीम; शीतित डेसर्टस जैसे गैर डेयरी आइस, सोरबेट और फ्रूट आइस, शीतित योगर्ट, फ्लेक्स और खाने के लिए तैयार सूखा नाश्ता अनाज, चॉकलेट और मिठाइयां; और कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां जैसे हलवा, मैसूर पाक, बूंदी लड्डू, जलेबी, खोया बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और किसी भी नाम से विक्रीत समरूप दुग्ध उत्पाद पर आधारित मिठाइयां, पके हुए सॉसेजेस, हैम और मांस स्प्रेड

- (ii) फायटों या प्लांट स्टान्लो ऐस्टर्स को निम्नलिखित उत्पादों में मिलाया जा सकेगा जिससे कि उपयोक्ताओं का या तो अधिकतम 3 ग्राम वाले एक भाग या 1 ग्राम वाले तीन भागों के उपयोग के माध्यम से अधिकतम 3 ग्राम तक प्रतिदिन अपने उपभोग को सहजतः सीमित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके और खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 के उपविनियम 48 के अधीन तालिका घोषणा के अधीन रहते हुए मिलया जाएगा।

(I) फेट स्प्रेड, दुग्ध-उत्पाद, दुग्ध-आधारित फलों के पेय, किण्वित दुग्ध-उत्पाद, सोया और राइस पेय, चीज़ उत्पाद योगहर्ट उत्पाद, मसाले चटनियां, सलाद ड्रेसिंग्स, रस और नेक्टर।

(II) फाइटो व प्लांट स्टेनोल के उत्पाद को एक भाग में बेचा जाए, जिसमें गणना करके मुक्त फाइटो व प्लांट स्टेनोल की या तो अधिकतम 3 ग्राम व अधिकतम 1 ग्राम फाइटो/प्लांट स्टेनोल की मात्रा हो। और यदि वे इस प्रकार से मात्रा को नहीं रखते, तो उस उत्पाद पर विद्यमान खाद्य मानक भाग की सूचना का साफ दिखाया जाए; जिसे ग्राम व मि.ली. में व्यक्त किया है। और फाइटो व प्लांट स्टेनोल की मात्रा, जिसकी मुक्त फाइटो व प्लांट स्टेनोल के रूप में गणना की जाए और भाग में रखा जाए।

- (iii) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 के उपविनियम 49 के अधीन लेबल घोषणा के अनुसार निम्नलिखित खाद्यों में ट्रेहलोस एक अवयव की तरह मिलाया जा सकता है :-

(i)	बिस्किट, ब्रेड, केक्स, नाश्ते के अनाज	0.5-10 %
(ii)	कार्बोनिकृत जल, तापीय प्रसंस्कृत फल, फलों का रस, फल नेक्टर, फलों के पेय पदार्थ, फलों से बनी स्क्वाश, जैम, जैली, फलों से बनी चीज़ मारमलेड, डेयरी आधारित पेय, दुग्ध पाउडर	0.5-20 %
(iii)	कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाइयां जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, खोया बर्फी	0.5-20 %
(iv)	मेकरोनी उत्पाद, नूडल्स, पास्ता	0.5-5 %
(v)	मिठाइयां और कन्फैक्शनरी, कैंडी और आईसिंग	5.0-7.5 %
(vi)	सेवरीज और स्नैक्स	0.5 - 1.0 %

(iv) सोडियम आयरन (III) इथाइलीन डायामीन एसिटेट, ट्रायहाइड्रेट (सोडियम फेरेडिटेट- Na Fe EDTA) निम्नलिखित खाद्य में एक अवयव की तरह मिलाया जा सकता है ।

परोसने के लिए तैयार पेय, कार्बोनिफ़्ट फलों का पेय और फलों के नेक्टर } 155 पीपीएम से अनधिक

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/ असा./187-ओ/14]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा किया गया:-

1. फा.सं. 4/15015/30/2011 तारीख 7 जून, 2013 ।
2. फा.सं. पी.15014/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013 ।
3. फा.सं. 5/15015/30/2012 तारीख 12 जुलाई, 2013 ।
4. फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, 5, दिसंबर, 2014

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2015

F. No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2013, were published as required under sub-section (1) of Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. 1-83/Sci. Pan-Noti/FSSAI-2012, dated the 16th May, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 14th July, 2013;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
2. In Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011(hereinafter referred to as the said regulations), –

A. in regulation 2.1.9 relating to “DAIRY PRODUCTS AND ANALOGUES”, under regulation 2.1-

(i) after the heading “FOODS FOR INFANT NUTRITION”, the sub-heading “**Infant Milk Substitutes**” shall be inserted;

(ii) in sub-regulation 2 relating to infant formula, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:

“Provided also that the lactose free or lactose and sucrose free or sucrose free infant milk substitutes shall conform to the following requirements, except the requirements of milk protein and milk fat, in the following manner, namely:—

(a) total protein, per cent. by weight shall not be less than 10.0 per cent and not more than 16 per cent.;

(b) total fat, per cent by weight shall not be less than 18.0 per cent; and

(c) the lactose in the product claimed to be lactose free shall not exceed 0.05 per cent”;

(iii) in clause 3 before the words “milk cereal based complementary food”, the sub-heading “**Infant Foods**” shall be inserted;

(iv) in clause 4 relating to processed cereal based complementary food, at the end, the following proviso shall be inserted, namely:—

‘Provided that the processed cereal based complementary foods for use in specific conditions, where protein needs to be restricted and where other cereals like wheat, soya, legumes and milk cannot be used, such processed cereal based complementary foods shall be prepared with single cereal like rice or ragi, which shall have the minimum protein content of 6-9 per cent, such products shall be conspicuously labeled, “Processed Mono Cereal Based Complementary Food for use in specific conditions under medical guidance only.’;

B. in regulation 2.4.1, for sub-regulation 2 relating to Fortified atta, the following shall be substituted, namely:
 “2. Fortified atta means the product obtained by adding one or more of the following nutrients to atta, namely:

S. No	Nutrient	Level of fortification per Kg of atta (Not more than)
1.	Calcium- Calcium carbonate, Calcium chloride, Calcium citrate, Calcium phosphate monobasic, Calcium phosphate dibasic, Calcium phosphate tribasic;	1500mg
2.	Iron- (a) Ferrous citrate, Ferrous lactate, Ferrous sulphate, Ferric pyrophosphate, electrolytic iron, ferrous fumarate; (b) Sodium Iron (III) Ethylene Diamine tetra Acetate, Trihydrate (Sodium Feredetate- Na Fe EDTA)	60mg 25mg
3.	Zinc- Zinc Sulphate	30mg
4.	Vitamin A- Retinyl acetate, Retinylpalmitate, Retinylpropionate;	1500 µg RE
5.	Ascorbic Acid (Vitamin C) – Ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate, ascorbyl- 6-palmitate;	100 mg
6.	Thiamine (Vitamin B1) – Thiamine hydrochloride, Thiamine mononitrate;	3.5mg
7.	Riboflavin (Vitamin B2) – Riboflavin, Riboflavin 5'- Phosphate sodium;	4.0mg
8.	Niacin – Nicotinamide, nicotinic acid;	45mg
9.	Pyridoxine (Vitamin B6) – Pyridoxine hydrochloride;	5.0mg
10.	Folic acid- Folic acid;	250µg
11.	Vitamin B12- Cyanocobalamine, hydroxycobalamine;	2.5µg
12.	Vitamin D- Cholecalciferol, Ergocalciferol	1000 IU

Note: It shall be free from any extraneous matter including rodent hair and excreta.”;

C. in regulation 2.4.2, for sub-regulation 2 relating to Fortified maida, the following shall be substituted, namely:—
 “2. Fortified maida means the product obtained by adding one or more of the following nutrients to maida, namely:—

S. No	Nutrient	Level of fortification per Kg of Maida (Not more than)
1.	Calcium- Calcium carbonate, Calcium chloride, Calcium citrate, Calcium phosphate monobasic, Calcium phosphate dibasic, Calcium phosphate tribasic;	1500mg
2.	Iron- (a) Ferrous citrate, Ferrous lactate, Ferrous sulphate, Ferric pyrophosphate, electrolytic iron, ferrous fumarate; (b) Sodium Iron (III) Ethylene Diamine tetra Acetate, Trihydrate (Sodium Feredetate- Na Fe EDTA)	60mg 25mg
3.	Zinc- Zinc Sulphate	30mg
4.	Vitamin A- Retinyl acetate, Retinylpalmitate, Retinyl propionate;	1500 µg RE
5.	Ascorbic Acid (Vitamin C) – Ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate, ascorbyl- 6-palmitate;	100 mg
6.	Thiamine (Vitamin B1) – Thiamine hydrochloride, Thiamine mononitrate;	3.5mg
7.	Riboflavin (Vitamin B2) – Riboflavin, Riboflavin 5'- Phosphate sodium;	4.0mg
8.	Niacin – Nicotinamide, nicotinic acid;	45mg
9.	Pyridoxine (Vitamin B6) – Pyridoxine hydrochloride;	5.0mg
10.	Folic acid- Folic acid;	250µg

S. No	Nutrient	Level of fortification per Kg of Maida (Not more than)
11.	Vitamin B12- Cyanocobalamine, hydroxycobalamin;	2.5µg
12	Vitamin D- Cholecalciferol, Ergocalciferol	1000 IU

Note : It shall be free from any extraneous matter including rodent hair and excreta.”;

D. in regulation 3.1.17 after the table, the following shall be inserted, namely:—“**Use of food ingredients in different foods-**

The following food products may contain the food ingredients as specified below in addition to those permitted under these regulations:

- (i) **Oligofructose** may be added at not more than ten per cent of the product, in the following products, subject to label declaration under sub-regulation 43 of regulation 2.4.5 of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011:—

Dairy products like: yoghurt, mousse, spreads, dairy based drinks (milkshakes, yoghurt drink), cheese, pudding, cream and ice-cream; frozen desserts like non dairy ice, sorbet and fruit ice, frozen yoghurt, flakes and ready-to-eat dry breakfast cereals, chocolate and sweets; and carbohydrate based and milk product based sweets like halwa, mysore pak, boondi laddu, jalebi, khoyaburfi, peda, gulab jamun, rasogolla and similar milk product based sweets sold by any name; cooked sausages, ham and meat spreads;

(ii) Phyto or Plant stanol esters may be added to the following products so as to allow users to easily restrict their consumption to maximum 3gm per day through the use of either one portion containing maximum 3 gm or three portions containing 1gm and it shall be added subject to the table declaration under **sub-regulation 48 of regulation 2.4.5 of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011:—**

- (I) *Fat spread, milk products, milk based fruit drink, fermented milk products, soy and rice drink, cheese products, yoghurt products, spice sauces, salad dressings, juices and nectars.*
- (II) *Products containing Phyto or Plant Stanols be sold in single portions containing either maximum 3 g or ‘maximum 1 g of phyto or/ plant Stanols, calculated as free phyto or plant Stanols, and if they do not contain so, there should be a clear indication of what constitutes a standard portion of the food, expressed in g or ml, and of the amount of phyto or plant Stanols, calculated as free phyto or plant Stanols, contained in such a portion;*

(iii) **Trehalose** may be added as an ingredient in the following foods, subject to label declaration under **sub-regulation 49 of regulation 2.4.5 of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011:—**

(i)	Biscuits, bread, cakes, breakfast cereals	0.5-10.0 per cent
(ii)	Carbonated water, thermally processed fruits, fruit juices, fruit nectars, fruit beverages, fruit squashes, jam, jelly, fruit cheese, marmalade, dairy based drinks, milk powder	0.5-20.0 per cent
(iii)	carbohydrate- based and milk product based sweets like gulab jamun, rosogolla, peda , khoya burfi	0.5-20.0 per cent
(iv)	Macroni products, noodles, pasta	0.5-5.0 per cent
(v)	Sweets and confectionery, candies and icings	5.0-7.5 per cent
(vi)	Savouries and snacks	0.5-1.0 per cent

(iv) **Sodium Iron (III) Ethylene Diamine tetra acetate, Trihydrate (Sodium Ferredetate-Na Fe EDTA)** may be added as an ingredient in the following foods:-

Ready to serve beverages, carbonated fruit drinks and fruit nectars – Not More than 155ppm”

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer
[ADVT.-III/4/Exty./187-O/14]

Foot Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number No. 2-15015/30/2010 dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notifications numbers.

- (i) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013.
(ii) F.No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013.
(iii) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013.
(iv) F.No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014